कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – deanshahdol@gmail.com, Office No. :- 07652 - 243000
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG, Fax No. :- 07652 – 243222

क्रमांक/4831/स्था./एम.सी./2020 शहडोल, दिनांक 09/09/2020

विज्ञप्ति

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में कोविड–19 (कोरोना वायरस) महामारी की रोकथाम एवं वायरोलॉजी लैब के संचालन हेतु आवश्यक मानव संसाधन (**वैज्ञानिक "बी"**) की अस्थायी नियुक्ति (30 सितम्बर 2020 तक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (**NHM**) म.प्र. भोपाल के अंतर्गत निर्धारित निश्चित मासिक मानदेय पर की जानी है। उक्त नियुक्ति वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से **दिनांक 12.09.2020 एवं 14.09.2020 को, समय – प्रातः 11:30 बजे से सायं 04:00 बजे तक** सम्पन्न की जावेगी।

पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या
01	वैज्ञानिक "बी"	02

- **आवश्कतानुसार पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।**

1. यह सेवायें पूर्ण रूप से अस्थायी होंगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही हैं। अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिए किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
2. उपरोक्त अस्थायी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत कोविड–19 महामारी के बचाव हेतु की जा रही है। जिसकी अवधि 30 सितम्बर 2020 तक होगी एवं आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल से प्राप्त आदेशानुसार बढ़ाई–घटाई जा सकती है।
3. **उपरोक्त नियुक्ति वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से दिनांक 12.09.2020 एवं 14.09.2020 को समय प्रातः 11:30 बजे से सायं 04:00 बजे तक, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में सम्पन्न की जावेगी।**
4. चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. नियुक्ति संबंधी जानकारी अथवा सूचना शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट **WWW.GMCSHAHDOL.ORG** के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी। अतः समय – समय पर इसका अवलोकन करें।

9/9/20

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पद का नाम, संख्या, शैक्षणिक योग्यता एवं वांछनीय अर्हतायें संबंधी विवरण

क.	पद संख्या	पदनाम	शैक्षणिक अर्हतायें (योग्यता)	वांछनीय अर्हतायें	मासिक मानदेय
1	02	वैज्ञानिक "बी"	1. First Class master's degree in relevant subject (Medical Microbiology/Virology/Microbiology /Bio Technology) from a recognized University. 2. Second Class M.Sc. + Ph.D. Degree in relevant subject (Medical Microbiology /Virology / Microbiology /Bio Technology) from a recognized university.	1. Doctorate in the related subject from a recognized University for candidate with first class degree 2. Additional post doctoral Research /teaching experience in relevant subject in recognized institutes. 3. Knowledge of computer application of business intelligence tools/data management 4. Two Years R & D teaching experience in relevant subject after obtaining essentials qualifications. Note; Ph.D in relevant subjects shall be treated equivalent to 3 years experience respectively.	As Per NHM Norms

निरर्हतायें :-

- विकृत्त चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- **नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा :-** किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- **विवाह संबंधी :** जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार, जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- जिस आवेदक की 02 से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उससे पश्चात हुआ हो, तो ऐसे उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- **कदाचरण संबंधी :-** किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- **स्वास्थ्य संबंधी :-** मानसिक रूप से स्वस्थ्य न होने पर किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाये, तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी आर्हता की जांच स्वयं कर लें और आर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर अथवा उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

5/9/2020

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner